एलआईसी न्यू मनी बैक २० वर्ष विक्रय विवरणिका

एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना-20 वर्ष
(यूआईएनः 512N280V03)
(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना)

एलआईसी की नई मनी बैक योजना–20 वर्ष एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना है, जो योजना की अवधि के दौरान मृत्यु पर सुरक्षा के साथ–साथ बीमा अवधि के दौरान निर्दिष्ट समय तक जीवित रहने पर आवधिक भुगतान का एक आकर्षक संयोजन प्रदान करती है। इस अनूठे संयोजन से परिपक्वता से पहले किसी भी समय मृतक पॉलिसीधारक के परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है और जीवित पॉलिसीधारकों के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत इसकी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफलाइन खरीदी जा सकती है।

प्रमुख विशेषताएँ :

- इस योजना में सुरक्षा और बचत का प्रावधान है।
- निर्दिष्ट पॉलिसी अवधि पर उत्तरजीविता हितलाभ का भुगतान।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से राइडर हितलाभों का चयन करके बीमा–सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- आवश्यकतानुसार एकमुश्त या किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प।
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

1. पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंधः

ए)	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	13 वर्ष (पूर्ण)
बी)	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
सी)	अधिकतम परिपक्वता आयु	70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
डी)	पॉलिसी अवधि	20 वर्ष
ई)	प्रीमियम भुगतान अवधि	15 वर्ष
एफ)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	रू. 200,000
जी)	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं

(मूल बीमा राशि रु. 25000/– के गुणक में होगी)

योजना के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ होने की तिथि:

जोखिम स्वीकार करने पर जोखिम तुरन्त प्रारम्भ हो जाएगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि:

यदि यह पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई है, तो पॉलिसी उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी

वर्षगाँठ पर स्वचलित रूप से बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और इस तरह के निहित होने पर इसे निगम और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना जाएगा।

2. हितलाभ

ए. मृत्यु हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो (अर्थात सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो) निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ ''**मृत्यु पर बीमित राशि**'' होगी। जहाँ ''**मृत्यु पर बीमित राशि**'' मूल बीमित राशि के 125% या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित है। यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा। जहाँ

i. ''**वार्षिक प्रीमियम**'' एक वर्ष में देय प्रीमियम होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमांकन हेतु अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होगी।

ii. ''**कुल भुगतान की गई प्रीमियम**'' का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं हैं, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है।

बी) उत्तरजीविता हितलाभ:

निर्दिष्ट अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, मूल बीमित राशि का 20% प्रत्येक 5वें, 10वें और 15वें पॉलिसी वर्ष के अंत में देय होगा।

सी. परिपक्वता हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, ''**परिपक्वता पर बीमित राशि**'' के साथ-साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, देय होगा। जहाँ ''**परिपक्वता पर बीमित राशि**'' मूल बीमित राशि के 40% के बराबर है।

डी. लाभों में भागीदारी:

पॉलिसी निगम के लाभों में हिस्सेदार होगी तथा इसे निगम के अनुभव के अनुसार घोषित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करने की पात्रता होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू स्थिति में हो।

यदि प्रीमियमों का भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी भावी लाभों में भाग लेना बंद कर देगी, भले ही पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या नहीं।

सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से घोषित किया जाएगा। एक बार घोषित होने के बाद, वे निगम द्वारा घोषित नियमों और शर्तों पर योजना के गारंटीकृत हितलाभों का हिस्सा बन जाते हैं।

पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में अभ्यर्पण की तिथि पर लागू निहित बोनस

का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

इस पॉलिसी के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस भी उस वर्ष घोषित किया जा सकता है, जब पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु या परिपक्वता के आधार पर दावा होता है, जो ऐसी दरों और शर्तों पर होगा, जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया जा सकता है। अंतिम अतिरिक्त बोनस चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत देय नहीं होगा।

बीमांकन जांच से प्राप्त अधिशेष राशि में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित तीन वैकल्पिक राइडर (या इनका संशोधित संस्करण) उपलब्ध होंगे। हालाँकि, पॉलिसीधारक नीचे दी गई पात्रता के अधीन एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर और/या शेष दो राइडरों में से किसी एक को चुन सकता है:

ए) एलआईसी का आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B209V02)

इस राइडर को किसी भी समय मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली दिव्यांगता (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों में विस्तारित समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियम और साथ ही मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि के हिस्से की प्रीमियम, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, को माफ कर दिया जाएगा। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पॉलिसी की वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B203V03)

इस राइडर को किसी भी समय मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते कि मूल योजना की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान ही उपलब्ध होगी। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने पर, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने

पर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर (यूआईएन: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के प्रारंभ होने के समय ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा–सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म राइडर बीमा राशि के बराबर राशि देय होगी।

सभी जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी राइडरों के अंतर्गत मिलने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडरों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की चुनी गई अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जाता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता राशि के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन चुना गया हो:

किस्तों में भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप से किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय

अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के विरुद्ध निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता दावे की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या छह माह या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

विकल्पः– निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बादः

ए. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के विरुद्ध निपटान विकल्प का प्रयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है तथा बकाया किस्तों को कम करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्न में से जो अधिक हो, एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगीः

- सभी भावी देय किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि, जिसके लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया गया था) में से (पहले से भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों का योग) घटाकर प्राप्त हुई राशि।

बी. भावी किस्तों के भुगतानों में छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू किया गया था। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भावी किस्तों को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

सी. परिपक्वता तिथि के बाद निपटान विकल्प का प्रयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिती को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा तथा नामिती द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

III. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्पः

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त

राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की चुनी गई अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने पर या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि विकल्प दिया गया है, भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि निम्नानुसार होगी:

किस्तों में भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक, अवयस्क होने पर या बीमित व्यक्ति, यदि वयस्क है, तो पॉलिसी की अवधि के दौरान अपने जीवनकाल में इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है, जिसमें किस्त भुगतान की अवधि और शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट की जाती है, जिसके लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है। मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति को किया जाएगा और नामित व्यक्ति द्वारा इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियम का भुगतान:

प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक आधार पर (केवल एनएसीएच के माध्यम से) या पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान वेतन कटौती के माध्यम से किया जा सकता है।

5. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से उपलब्ध होगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय है।

6. नमूने हेतु उदाहरणात्मक प्रीमियम:

मानक जीवन के लिए रु. 2 लाख की मूल बीमा राशि के लिए नमूने हेतु उदाहरणात्मक वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार हैं:

आयु (वर्ष में)	प्रीमियम (रु. में)
20	रु. 15,896
30	रु. 16,082
40	रु. 16,846
50	रु. 18,679

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं है।

7. छूट:

विधि छूट	
विधि	**छूट**
वार्षिक विधि	सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%
अर्धवार्षिक विधि	सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%
त्रैमासिक, मासिक (एनएसीएच) और वेतन कटौती	शून्य

उच्च बीमा राशि छूट (प्रीमियम पर)	
मूल बीमा राशि (बीएसए)	**छूट (रु.)**
2,00,000 से 4,75,000	शून्य
5,00,000 और उससे अधिक	3.00%o बी.एस.ए.

8. पुनर्चलन:

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान ब्याज सहित (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) उस दर पर करने पर प्रभावी होगा, जिसे निगम द्वारा समय–समय पर तय किया जा

सकता है और यह पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि पर और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसा कि पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती है, के आधार पर होगा।

निगम बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकार कर लिया जाएगा तथा पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी।

1 मई से 30 अप्रैल तक हर 12 महीने की अवधि के लिए इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक में 3% जोड़कर उससे, या निगम के असंबद्ध, सहभागी कोष पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक होगी।

पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि राइडर(रों) के पुनर्चलन का विकल्प चुना जाता है, तो उस पर केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

9. चुकता मूल्य पॉलिसी:

यदि एक पूर्ण वर्ष से कम अवधि की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, तो प्रथम पॉलिसी वर्ष पूरा होने पर, पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि वह पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमित राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा, जिसे मृत्यु चुकता बीमित राशि कहा जाता है और यह मृत्यु पर बीमित राशि गुणित पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि एवं वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थी, के अनुपात के गुणनफल के बराबर होगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ मृत्यु चुकता बीमित राशि होगी। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमित राशि को ऐसी राशि तक घटा दिया जाएगा, जिसे परिपक्वता चुकता बीमित राशि कहा जाता है और

यह ((परिपक्वता पर बीमित राशि और पॉलिसी के अंतर्गत देय उत्तरजीविता हितलाभ के योग की राशि) गुणित पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि एवं वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थी, के अनुपात) के गुणनफल में से पॉलिसी के अंतर्गत पहले से चुका दिए गए उत्तरजीविता हितलाभ की कुल राशि को घटाकर उससे प्राप्त राशि होगी। पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ परिपक्वता चुकता बीमित राशि का योग होगी।

उत्तरजीविता हितलाभ को पहले ही परिपक्वता भुगतान बीमा राशि की गणना में शामिल कर लिया गया है, अतः भविष्य में उत्तरजीविता हितलाभ अलग से देय नहीं होंगे।

चुकता पॉलिसी भावी लाभों में भाग लेने की हकदार नहीं होगी। हालाँकि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, चुकता पॉलिसी से संलग्न रहेगा।

यदि पॉलिसी कालातीत हो जाती है तो राइडर कोई भी चुकता मूल्य अर्जित नहीं करेगा तथा राइडर हितलाभ लागू नहीं होंगे।

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी को पहले पॉलिसी वर्ष के पूर्ण होने के बाद अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम चुकाई गई हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूर्ण होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान की गई प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियम, करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है और राइडरों के लिए प्रीमियम, यदि इन्हें चुना गया है) गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणनफल में से फिर पहले से भुगतान किए गए किसी भी उत्तरजीविता हितलाभ को घटाकर उसके प्रतिफल के बराबर होगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट हैं:

भुगतान की गई कुल प्रीमियमों पर % के आधार पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक	
पॉलिसी वर्ष	**पॉलिसी अवधि 20 वर्ष**
1	0.00
2	30.00
3	35.00
4	50.00
5	50.00
6	50.00
7	50.00

8	52.50
9	55.00
10	57.50
11	60.00
12	60.50
13	65.00
14	67.50
15	70.00
16	72.50
17	75.00
18	77.50
19	90.00
20	90.00

इसके अलावा, किसी भी निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, भी देय होगा, जो निहित बोनस गुणित निहित बोनस पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणनफल के बराबर होगा। ये कारक उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और नीचे दिए अनुसार निर्दिष्ट हैं:

निहित बोनस पर % के आधार पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक	
पॉलिसी वर्ष	**पॉलिसी अवधि 20 वर्ष**
1	0.00
2	0.00
3	16.22
4	16.58
5	17.03
6	17.58
7	17.58
8	17.66
9	17.85
10	18.16
11	18.60
12	19.18
13	19.93
14	20.85
15	21.99
16	23.38
17	25.05
18	27.06
19	30.00
20	35.00

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई के मुख्य परिपत्र, संदर्भ: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024, दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से की जाएगी।

राइडर(रों), यदि कोई है, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा आगे कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

11. पॉलिसी ऋणः

पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण, अभ्यर्पण मूल्य के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगा:

i. पॉलिसी के अंतर्गत प्रथम पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने से पहले	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियमों के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

iii. इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक हर 12 महीने की अवधि के लिए लिए जाने वाले ऋण हेतु पूरी लोन अवधि के लिए लागू लोन ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक में 3% जोड़कर उससे, या कॉर्पोरेशन के असंबद्ध सहभागी कोष पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए 9.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है, तो निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जाती हैं, तो उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि, यदि कोई हो, के अंतर के भुगतान का अधिकारी होगा।

v. ब्याज सहित किसी भी बकाया ऋण को निकासी के समय दावे की राशि से वसूल किया जाएगा।

12. कुछ घटनाओं में ज़ब्तीः

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई म हत्वपूर्ण जानकारी रोककर रखी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी लाभ के सभी दावे समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

13. पॉलिसी की समाप्तिः

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि, जिस पर एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है तो परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि पॉलिसी, जिसने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं की गई है; या

जी) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) उपरोक्त अनुच्छेद 12 में निर्दिष्टनुसार जब्ती की स्थिति में।

14. करः

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) के लिए प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम (यदि कोई हो) के अलावा अलग से लिया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना के लिए विचाराधीन नहीं माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम और देय हितलाभों पर आयकर लाभ/प्रभाव के संबंध में जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।

15. निशुल्क अवलोकन अवधिः

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ङ्कङ्कनियमों व शर्तोंङ्कङ्क से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी आपत्तियों के कारण बताते हुए पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी निगम को वापस कर सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाएगा और बीमा-सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) के लिए, चिकित्सा परीक्षण (विशेष रिपोर्ट सहित, यदि कोई हो) और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क पर किए गए खर्च को काटने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस कर दी जाएगी।

16. अपवर्जन:

i. आत्महत्या: यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम का 80%, या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक होगा, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी को इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकार नहीं होगा।

यह खण्ड चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो चुकी पॉलिसी पर लागू नहीं होगा तथा ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर (यदि इसे स्पष्ट रूप से लिया गया है), अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा कोई भी राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होगा।

17. हितलाभ उदाहरण:

वितरण चैनल	**ऑफलाइन**
संभावित/पॉलिसीधारक का नाम:	
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	**30**
पॉलिसी अवधि:	**20**
प्रीमियम भुगतान अवधि:	**15**
किस्त प्रीमियम की राशि	**16082.00**
प्रीमियम भुगतान की विधि	**वार्षिक**

(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)

प्रस्ताव संख्या :	

उत्पाद का नाम:	एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना – 20 वर्ष
टैग लाइन:	एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना
विशिष्ट पहचान संख्या:	512N280V03
जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	शून्य
जीएसटी दर (द्वितीय वर्ष से आगे):	शून्य

टिप्पणी: जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में इसकी छूट दी गई है।

इस हितलाभ उदाहरण को कैसे पढ़ें और समझें?

इस हितलाभ उदाहरण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभ को दो अनुमानित ब्याज दरों अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष पर दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ परिवर्तनीय हैं, जिनका प्रतिफल आपके बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय के भावी प्रदर्शन पर आधारित है। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर चित्रण तालिका में इन्हें स्पष्ट रूप से ''गारंटीकृत'' के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दिए गए चित्रण में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की अनुमानित भावी निवेश प्रतिफल की दो अलग–अलग दरें दिखाई देंगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और वे आपके द्वारा वापस प्राप्त की जाने वाली राशि की ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

पॉलिसी के विवरण			
पॉलिसी विकल्प		मूल बीमित राशि रु.	2,00,000
बोनस प्रकार	साधारण प्रत्यावर्ती एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस	मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	2,50,000

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	**राइडर [1]**	**कुल किस्त प्रीमियम**
किस्त प्रीमियम, जीएसटी के बिना	16082.00		16082.00
किस्त प्रीमियम, प्रथम वर्ष जीएसटी के साथ	16082.00		16082.00
किस्त प्रीमियम द्वितीय वर्ष से जी.एस.टी. के साथ	16082.00		16082.00

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)	वार्षिक[2] प्रीमियम (संचयी)	गारंटीकृत हितलाभ				गैर-गारंटीकृत हितलाभ @ 4% प्रति वर्ष			
		उत्तर-जीविता हितलाभ	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	प्रत्यावर्ती बोनस	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	अभ्यर्पण हितलाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16082	0	0	250000	0	1400	0	3501	3501
2	32164	0	9649	250000	0	2800	9649	7506	9649
3	48246	0	16886	250000	0	4200	17567	13308	17567
4	64328	0	32164	250000	0	5600	33092	19025	33092
5	80410	40000	40205	250000	0	7000	41397	25491	41397
6	96492	0	8246	250000	0	8400	9723	0	9723
7	112574	0	16287	250000	0	9800	18010	1050	18010
8	128656	0	27544	250000	0	11200	29522	10315	29522
9	144738	0	39606	250000	0	12600	41855	20715	41855
10	160820	40000	52472	250000	0	14000	55014	32378	55014
11	176902	0	26141	250000	0	15400	29005	5420	29005
12	192984	0	40615	250000	0	16800	43837	19978	43837
13	209066	0	55893	250000	0	18200	59520	36229	59520
14	225148	0	71975	250000	0	19600	76062	54311	76062
15	241230	40000	88861	250000	0	21000	93479	74491	93479
16	241230	0	54892	250000	0	22400	60129	46904	60129
17	241230	0	60923	250000	0	23800	66885	60335	66885
18	241230	0	66953	250000	0	25200	73772	74915	74915
19	241230	0	97107	250000	0	26600	105087	90771	105087
20	241230	0	97107	250000	80000	28000	106907	108000	108000

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी के प्रारंभ में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियमें और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक है, वह होगा। एसएसवी की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई के

(राशि रुपए में)

गैर-गारंटीकृत हितलाभ @ 8% प्रति वर्ष				कुल हितलाभ			
				परिपक्वता हितलाभ		मृत्यु हितलाभ [4]	
प्रत्यावर्ती बोनस	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	अभ्यर्पण हितलाभ	कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @4% (6+7+ एफएबी)"	कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @ 8% (6+11+ एफएबी)	कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @ 4% (5+7+ एफएबी)	"कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @ 8% (5+11+ एफएबी)
11	12	13	14	15	16	17	18
5600	0	3501	3501	0	0	251400	255600
11200	9649	7506	9649	0	0	252800	261200
16800	19611	17021	19611	0	0	254200	266800
22400	35878	24338	35878	0	0	255600	272400
28000	44973	32618	44973	0	0	257000	278000
33600	14153	1992	14153	0	0	258400	283600
39200	23178	12552	23178	0	0	259800	289200
44800	35456	24427	35456	0	0	261200	294800
50400	48602	37762	48602	0	0	262600	300400
56000	62642	52723	62642	0	0	264000	306000
61600	37599	29457	37599	0	0	265400	311600
67200	53504	48146	53504	0	0	266800	317200
72800	70402	69016	70402	0	0	268200	322800
78400	88321	92248	92248	0	0	269600	328400
84000	107333	118187	118187	0	0	271000	335000
89600	75840	97015	97015	0	0	272400	340600
95200	84771	117591	117591	0	0	273800	347200
100800	94229	140135	140135	0	0	275200	353800
106400	129027	164873	164873	0	0	276600	360400
112000	136307	197000	197000	108000	197000	278000	367000

मुख्य परिपत्र, संदर्भ: संख्या: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024, दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना जाता है कि बोनस इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन परिणामों के नियमों और शर्तों के अनुसार घोषित किए जाने पर निहित होगा।

4. किसी भी स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान कुल मृत्यु हितलाभ भुगतान की गई कुल प्रीमियम (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) के 105% से कम नहीं होगा।

– बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार होगा।

18. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत–संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का तेज़ निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक–अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकरण के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीआई की:

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i) टोल–फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

iv) कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और

विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्त ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिससे ग्राहक किफ़ायती और शीघ्र मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होंगे। इस प्रावधान का वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I- इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, ''धोखाधडी'' शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:-

ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और

डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल–चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II– ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधडी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधडी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाधारक यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधडी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इस के खंडन का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है और बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुर्नचलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधडी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41):

1. कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

नकली फोन कॉल और फर्जी/धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों से सावधान रहें

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस की घोषणा करने या प्रीमियम का निवेश करने, राशि वापस करने जैसी बीमा व्यवसाय की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फ़ोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर–दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512